

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/42/2016-17

05 जुलाई, 2017

सेवा में,

श्री रामपाल पुत्र श्री कालू राम,
मकान नं. 24/25 करावल नगर,
मेन रोड गांव न्यू चौहानपुर दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु
महोदय,

कृपया अपने दिनांक 30.06.2017 के पत्र जोकि इस सचिवालय में 04.07.2017 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें जिसके साथ आपने दस रूपये का पो.आ. संख्या 37एफ 996766 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया है।

इस संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि आपके पत्र की विषय-वस्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नहीं आती है और न ही इस कार्यालय से संबंधित है। अतः आपका पत्र मूल रूप में दस रूपये के पो.आ. संख्या 37एफ 996766 सहित आपको लौटाया जा रहा है तथा आपको सलाह दी जाती है कि आप इस विषय में संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से संपर्क करने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

Marcus S. S. S. S.
5/7/17

Date: 30/6/17

Page No.:

स्वामी,

श्रीमान राष्ट्रपति जी
दिल्ली सरकार,
राष्ट्रपति भवन
दिल्ली - 02



महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि राजपाल जिसका देहांत 20/11/2006 को हो गया था। जो MCO के मनेरिया विभाग में बेलदार के पद पर कार्य करता था। राजपाल की पत्नि राजकुमारी की मृत्यु 11/01/2006 में हो गई थी। राजपाल की अपनी कोई संतान नहीं थी। राजपाल ने अपने भाई रामपाल का पुत्र अशोक कुमार एवं आकाश गौतम को गोद ले लिया था। जो जोइंट जर्मिनी में रहता है। राजपाल ने अपनी सक्ति पुक में पत्नी से अशोक कुमार को नामिनी बनाया हुआ है। MCO के छा कर्मचारियों ने मिलकर नामिनी में कैड-छाड की है। (1) राजवीर जिसने 30,620 रु जो हमसे थोखे से ले गया। (2) पंत (3) शिवशंकर (4) धिल किराक मैडम (5) सुरेड मनेरिया इंस्पेक्टर (6) जानोदहारी इन सबने दूसरी पार्टी से मोरी रकम खाकर। जो राजपाल की अपनी कोई संतान नहीं थी और उदीप को उसका पुत्र बना दिया और राजपाल की पत्नि के पैसा दिखा दिया। और नामिनी घोषित कर दिया जो उदीप कुमार नामिनी बनाई है जो श्री जॉन में बनाई है जबकि जी० पी० एफ के रिकार्ड में और एस एस ऑफिस में नामिनी अशोक कुमार है। यह केस 2008 से चल रहा है फूले यह केस तीस हजारी कोर्ट नं०-158 में चल रहा था तीस हजारी कोर्ट में यह केस दस महीना तक चला। दस महीना तक MCO वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। और उदीप को नामिनी बनाकर

